



राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर (पर्यावरण विभाग)

अरावली भवन, प्रथम तल, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004

rajsbb@rajasthan.gov.in; rajasthansbb@gmail.com; www.rajasthanstatebiodiversityboard.gov.in;

0141-2704188 / 2702188 / 2702088

क्रमांक:- एफ()/लेखा/लार्जट्री सर्वे/2022-23] 1227

दिनांक:- 20-02-2023

सीमित निविदा सूचना नं. 04/2022-23

राजकीय कार्य सम्पादन हेतु दो टैक्सी परमिट जीप/कार/बोलेरो चार माह की अवधि हेतु किराये पर ली जानी हैं। राजस्थान राज्य में स्थित बड़े वृक्षों का डाटा बेस तैयार करने हेतु संयुक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है उक्त परियोजना के तहत वित्त विभाग के Circular क्रमांक No. F-2(4)FD/SPFC/2017 Jaipur. Dated 05.04.2022 के अनुसार **On as and when basis** पर टैक्सी परमिट जीप/कार/बोलेरो किराये पर उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक निविदा दाता कार/जीप मालिक अपनी सहमति, प्रार्थना पत्र व दर के साथ वाहन के रजिस्ट्रेशन, इन्शोरेंस, टैक्सी परमिट, झाईविंग लाईसेंस आदि दस्तावेजों सहित बंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 01.03.2022 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत निविदाएँ गठित उपापन समिति द्वारा उसी दिन 2.00 बजे खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य विवरण	निविदा जमा करवाने का समय	निविदा खोलने का समय	अनुमानित व्यय
1.	टैक्सी परमिट गाडी (जीप/कार/बोलेरो किराये पर लेने बाबत) (On as and when basis)	01.03.2022 दोपहर 12.00 बजे तक	01.03.2022 दोपहर 02.00 बजे	1.12 लाख

NIB -

UBN -

(के०सी०मीणा)

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड

जयपुर



राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर (पर्यावरण विभाग)

अरावली भवन, प्रथम तल, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004

rajsbb@rajasthan.gov.in; rajasthansbb@gmail.com; www.rajasthanstatebiodiversityboard.gov.in;

0141-2704188 / 2702188 / 2702088

निविदा प्रपत्र

जीप/कार/बोलेरो टैक्सी निविदा के नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

क्र. सं.	वाहन का नाम मय मॉडल एवं नम्बर	विवरण	फर्म द्वारा प्रेषित दर प्रतिमाह (अधिकतम दर 14000/- प्रतिमाह व 750 किलोमीटर) अंको/शब्दों
1	1.	दर 750 किलोमीटर तक	
	2.		
2	1.	दर 750 किलोमीटर से अधिक	
	2.		

1. जीप/कार टैक्सी 6 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। अनुबंधित वाहन अच्छी हालत में होनी चाहिए तथा रास्ते में खराब होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा स्वयं के खर्चे पर भ्रमण को कार्यक्रमानुसार पूर्ण कराना होगा।
2. दरें मय डीजल/ऑयल/ड्राईवर व सभी तरह के विश्राम, हाल्टेज व सभी प्रकार के करों/बीमा अन्य राज्य का टैक्स व जिले का टोल सहित मासिक किलोमीटर 750 व राशि रूपये 14000/- प्रतिमाह में समाहित कर प्रस्तुत करे। किसी भी प्रकार की दर अलग से मान्य नहीं होगी। अन्य किसी भी तरह का भुगतान कार्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
3. गाडी की दुर्घटना होने पर किसी भी प्रकार का गाडी/ड्राईवर आदि का हर्जाना कार्यालय द्वारा देय नहीं होगा। समस्त उत्तरदायित्व वाहन मालिक का होगा।
4. बिलों का भुगतान उपक्रोष से बिल पारित होने के उपरांत किया जावेगा।
5. बिलों पर आयकर/सरचार्ज व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कर नियमानुसार काटे जायेंगे।
6. आवश्यक परमिट निविदादाता के पास पूर्व में ही होना आवश्यक हैं।

7. वाहन उपलब्ध कराते समय वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा पत्र एवं वाहन चालक के लाइसेन्स की प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
8. सरकार न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी निविदा को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकती है।
9. अनुबन्ध की अवधि दिनांक 30.06.2023 तक मान्य होगी। दोनों पक्षों की सहमति होने पर इसे नियमानुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा।
10. निविदा स्वीकार करने व अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा। सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
11. बोली दाता को निविदा के साथ 2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी. जमा कराना होगा
12. कार्य आदेश से पूर्व निविदा दाता को रुपये 500/- के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर स्वयं के खर्चे पर अनुबन्ध करना होगा तथा 2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि को समायोजित करते हुए कुल 5% कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी
13. किसी तरह के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
14. टैक्सी आदेश दिये जाने पर निर्धारित समय पर उपलब्ध कराना होगा।
15. निविदा तब ही स्वीकार की जायेगी जब वाहन में फास्टटेग लगा हुआ होगा एवं फास्टटेग का समस्त व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किया जावेगा।



सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड
जयपुर

समस्त शर्तें मंजूर
नाम मय हस्ताक्षर निविदादाता
मोबाईल नम्बर